

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1645]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940

No. 1645]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

का.आ. 1832(अ).—यतः, मैं. केआरसी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड तथा गेरा डेवलपमेंट्रस प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त रूप से) ने महाराष्ट्र राज्य के खदारी ग्राम, हवेली तालुका, जिला पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2203(अ) दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के 4.03 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मैं. केआरसी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड ने अब 0.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में भामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 8 मार्च, 2017 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के

2523 GI/2018 (1)

अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 0.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में भामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः—

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	विकासकर्ता का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	खरादी	केआरसी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड	65/3	0.92
		कुल		0.92
उपयुक्त	जोड के पश्चात	एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल		4.95

[फा.सं. एफ. 1/29/2016—एसईजेड,] बी. बी. स्वेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

S.O. 1832 (E).—Whereas, M/s. KRC Infrastructure & Projects Pvt. Ltd and Gera Developments Pvt. Ltd (Jointly) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Kharadi Village, Taluka-Haveli, District Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 4.03 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2203 (E) dated 19th June, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. KRC Infrastructure & Projects Pvt. Ltd has now proposed to include an area of 0.92 hectares as a part of above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal approved and conveyed it on 8th March, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **notifies an additional area of 0.92 hectares**, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as **4.95 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of village.	Developers Name	Survey No.	Area in hectares
1.	Kharadi	M/s. KRC Infrastructure & Projects Pvt. Ltd	65/3	0.92
	Total			0.92
Gra	and total area	of SEZ after above addition.		4.95

[F, No. F.1/29/2016-SEZ]

B.B. SWAIN Addl. Secy.,